पत्रांक–7/औषधि–07–01/2012– 6270

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

सचिव सह उप औषधि नियंत्रक,
औषधि नियंत्रक प्रशासन, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक : 21-11-12

विषयः मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– 06–लोक स्वास्थ्य–104–औषध नियंत्रण–0001 औषध नियंत्रण स्थापना विपत्र कोड N2210061040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में (13–02) वाहन का ईंधन एवं रखरखाव इकाई में कुल–₹1,00,000/–(एक लाख रूपये) मात्र का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/ विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या– 9(7)ब दिनांक–20.04.12, 30(7)ब दिनांक–27.06.12 एवं 49(7)ब दिनांक–8.10.12 एवं मांग पत्र के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–2013 में (13–02) वाहन का ईंधन एवं रखरखाव इकाई में कुल–₹1,00,000/–(एक लाख रूपये) मात्र का आवंटन दी जाती है ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक–18.4.11 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी गैर योजना मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– 06–लोक स्वास्थ्य–104–औषध नियंत्रण–0001 औषध नियंत्रण स्थापना विपत्र कोड N2210061040001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि एवं स्वास्थ्य विभाग के स्वीकृत्यादेश सं0–46(7) दिनांक 19.06.12 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि एवं स्वीकृत्यादेश सं0–160(7) दिनांक 30.10.12 द्वारा पुनर्विनियोग से प्राप्त राशि से किया जायेगा ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव सह उप औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रक प्रशासन, बिहार, पटना होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना होगें ।

5. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

6. राशि का विचलन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा ।

7. यह मात्र आवंटन है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की निर्धारित प्रक्रियाओं का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

8. आवंटित की गयी राशि का विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

9. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी

सचिव सह उप औषध नियंत्रक, औषध नियंत्रण स्थापना बिहार, पटना के लिए आवंटन

क्रमांक	कोड एवं प्राथमिक इकाई	आवंटित राशि
1	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव (13–02)	100000
	कुल योग	**100000**

(एक लाख रूपये मात्र)

21/11/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (01–01)	56856000	46431000	0	46431000	10425000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	38093000	31107830	0	31107830	6985170
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	8528000	6964650	0	6964650	1563350
4	परिवहन भत्ता (01–05)	127000	14000	0	14000	113000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	509000	464290	0	464290	44710
6	अन्य भत्ता (01–07)	282000	233445	0	233445	48555
	योग वेतन एवं भत्ते:–	**104395000**	**85215215**	**0**	**85215215**	**19179785**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	1000000	0	0	0	1000000
8	यात्रा व्यय (11–01)	612000	306000	0	306000	306000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	550000	278000	0	278000	272000
10	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव (13–02)	100000	0	100000	100000	0
11	दूरभाष (13–03)	20000	10000	0	10000	10000
12	विधि प्रभार (13–05)	1000000	440000	0	440000	560000
13	वर्दी / पोषाक (13–06)	50000	25300	0	25300	24700
14	प्रशिक्षण व्यय (20–03)	808000	808000	0	808000	0
15	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	200000	102000	0	102000	98000
16	दवा भंडार (21–02)	50000	25000	0	25000	25000
17	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28–01)	100000	50000	0	50000	50000
18	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	300000	125500	0	125500	174500
	कुल योग	**109185000**	**87385015**	**100000**	**87485015**	**21699985**

21/11/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

6217(9)
21-11-12

ज्ञापांक : 6215 पटना, दिनांक : 21-11-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/राज्य डेमोग्राफर/ प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक/ आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

16/11/12

सरकार के संयुक्त सचिव